

‘मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना- 2023’

चर्चा में क्यों?

24 जून, 2023 को राजस्थान के कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्त्व मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने जयपुर स्थित शासन सचिवालय में कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग द्वारा आयोजित राज्य अपीलिय नीति निर्धारण एवं पर्यवेक्षण समितिकी प्रथम बैठक में बताया कि ‘मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना- 2023’ के तहत प्रदेश के लोक कलाकारों को उनकी कला का सम्मान करते हुए उनके स्थानीय क्षेत्रों में 100 दिवस के कला प्रदर्शन का अवसर देते हुए रोजगार सुनिश्चिता किया जाएगा।

प्रमुख बटु

- मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री के मंशा अनुरूप ही लोक कलाकारों को प्रतिपरिवार प्रतिवर्ष 100 दिवस का लोक कलाओं के प्रदर्शन के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि यदि लोक कलाकार की कला को संरक्षण मलता है और उसे 100 दिनी का सुनिश्चिता रोजगार मलता है तो वह अपने परिवार का पालन-पोषण सहज ही कर सकता है।
- साथ ही, इससे कलाकार की कला आम जनता के बीच भी जाएगी तथा उन्हें और अधिक काम मलगा तथा राजकीय कार्यक्रम, उत्सवों, मेलों, त्योहारों, समारोह, स्कूल-कॉलेज आदि में कला प्रदर्शन के लिये इन कलाकारों को अवसर दिये जाएंगे।
- लोक कलाकारों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिये शीघ्र ही वेबपोर्टल भी शुरू किया जाएगा। प्रदेश के सभी लोक कलाकार अपने जन आधार कार्ड के माध्यम से वेब पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे।
- योजनांतरगत लोक कलाकारों को लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड दिया जाएगा। यह कार्ड कला प्रदर्शन अवसर प्राप्त करने के लिये कलाकारों का प्राथमिकि दस्तावेज होगा, जो एक कलाकार की पहचान करेगा।
- ‘मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना- 2023’ के संचालन के लिये राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर को नोडल एजेंसी बनाया गया है।



